संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव
(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)
भाग– 2
(संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या :– CG-019/2022

1.	परियोजना/स्कीम का स्थान	मेघा–सिंगपुर–दुगली मार्ग उन्नयन एवं चौड़ीकरण कार्य।
I	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	छत्तीसगढ
II	जिला	धमतरी
III	वन मंडल	धमतरी वनमंडल
IV	वनेत्तर प्रयोग के लिये प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्रफल	37.973 हे.
V	वन की वैधानिक स्थिति	आरक्षित वन
VI	हरियाली का घनत्व	0.4 से 0.6
VII	प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाए) सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के संबंध मं एफ. आर.एल.,एफ.एफ.आर.एल.–2 मी. परिगणना और एफ.आर.एल. 4 मी. भी संलग्न किये जाए ।	मार्ग उन्नयन एवं चौड़ीकरण कार्य में प्रकरण अंतर्गत मार्ग संरेखण के 16 मीटर ROW में कुल 2498 वृक्ष प्रभावित हो रहा है। वृक्षों की प्रजातिवार एवं गोलाईवार गणना प्रस्ताव के पृष्ठ क्रमांक 45 में संलग्न है।
VIII	भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशील पर संक्षिप्त टिप्पणी	भूक्षरण की संभावना कम है।
IX	वनेत्तर प्रयोग के लिये प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी.	वनेत्तर भूमि वन सीमा के अंदर हैं।
X	क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान,वन्यजीव अभ्यारण्य, जैव मंडल रिजर्व, बाघ रिजर्व , हाथी कोरीडोर, आदि का भाग है (यदि हाँ, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्यजीव वार्डन की टिप्पणियाँ अनुबंधित की जाए)	उक्त परियोजना हेतु प्रस्तावित क्षेत्र अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभारण्य, जैव मंडल रिजर्व, बाघ रिजर्व हाथी, कोरीडोर आदि का भाग नहीं हैं।
XI	क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियाँ पाई जाती है, यदि हाँ/तो तत्संबंधी ब्यौरा दें ।	(तालिका नीचे)
XII	क्या कोई सुरक्षित पुरात्तवीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो दें।	नही हैं।

XI:

वनस्पति का नाम		प्राणीजात का नाम	
दुलर्भ	संकटापन्न	दुलर्भ	संकटापन्न
चिरायता, सतावर, सफेद मुसली, काली मुसली, चरोटा, मगरलोठा, नागकेशर, विधारा, तेन्दु	भुई आंवला, मोलकांगनी, गुंजर, बायडिंग	भालू, चीतल, लोमड़ी,, लकड़बगघ्घा, कोटरी, शाही, काला तेन्दुआ, सालखपरी, पेंगालीन, कबरबीज्जू	तेन्दुआ

<table>
<tr><td>2.</td><td>प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग–1 कालम 2 मे प्रस्तावित वनभूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नही तो, जाँचे गये विकल्पों के ब्यौरो सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो दें।</td><td>मेघा–सिंगपुर–दुगली मार्ग पूर्व से निर्मित मार्ग है। उक्त मार्ग का आवेदक संस्थान के द्वारा उन्नयन एवं चौड़ीकरण कार्य प्रस्तावित है, जिसके लिए आवेदक संस्थान द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत पंजीयन कराया गया है। आवेदक संस्थान द्वारा मांग की गई प्रस्तावित वनभूमि की आवश्यकता मेघा–सिंगपुर–दुगली मार्ग उन्नयन एवं चौड़ीकरण कार्य के लिये अपरिहार्य और न्यूनतम है।</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है । (हाँ/नही) यदि हाँ तो कार्य की अवधि दोषी अधिकारीयों पर की गई कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दे, क्या उल्लंघन संबंधी कार्य अभी चल रहे है।</td><td>नहीं, प्रकरण में आवेदक संस्थान द्वारा वनक्षेत्र में किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है।</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा</td><td></td></tr>
<tr><td>I</td><td>प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवक्रमित वनक्षेत्र आसपास के वन से इसकी दूरी भूखण्डों की संख्या प्रत्येक भूखण्ड का आकार।</td><td>प्रकरण में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु महासमुंद जिले के महासमुंद वनमंडल अंतर्गत प्रकरण में प्रभावित वनभूमि 37.973 हे. के एवज में बिगडे वनों के सुधार के तहत 76.000 हे. वनभूमि का निम्नानुसार चयन किया गया है:–
<table>
<tr><th>वनमंडल का नाम</th><th>परिक्षेत्र का नाम</th><th>वैधानिक स्थिति</th><th>कक्ष क्रमांक</th><th>प्रस्तावित रकबा हे. में</th></tr>
<tr><td>महासमुंद</td><td>पिथौरा</td><td>आरक्षित वन</td><td>287</td><td>76.000</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>II</td><td>प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनेत्तर/ अवक्रमित वन क्षेत्र और आस पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप ।</td><td>संलग्न है।</td></tr>
<tr><td>III</td><td>रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यनवयन एजेंसी समय अनुसूची लागत ढाँचा आदि।</td><td>प्रकरण में प्रभावित वनभूमि 37.973 हे. के एवज में बिगडे वनों के सुधार के तहत 76.000 हे. वनभूमि का 10 वर्षीय सिंचित क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण योजना वित्तीय वर्ष 2023–24 की दर राशि रूपये 9,66,666/– से तैयार कर प्रस्ताव में संलग्न किया गया है।</td></tr>
<tr><td>IV</td><td>प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिये कुल वित्तीय परिव्यय।</td><td>76.000 हेक्टेयर हेतु वित्तीय वर्ष 2023–24 की दर रू. 9,66,666/– के मान से स्थल विशेष सिंचिंत क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु राशि रूपये 7,34,66,616/– परिव्यय का आकलन किया गया है।</td></tr>
<tr><td>V</td><td>प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबंधकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षर किया जाए)</td><td>क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु चयनित क्षेत्र की वृक्षारोपण उपयुक्तता प्रमाण पत्र परिक्षेत्र पिथौरा, उप वनमंडलाधिकारी पिथौरा, वनमंडलाधिकारी महासमुंद द्वारा दिया गया है, जो वृक्षारोपण योजना के साथ संलग्न है।</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपयुक्त कालम 1 (XI,XII), 2 और 3 में पूछे गए तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करे)</td><td>पेज नंबर 120 में स्थल निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है।</td></tr>
<tr><td>6.</td><td>विभाग/जिला प्रोफाईल</td><td></td></tr>
<tr><td>I</td><td>जिले का भौगोलिक क्षेत्र</td><td>408193.000 हेक्टेयर</td></tr>
<tr><td>II</td><td>जिले का वनक्षेत्र</td><td>212554.000 हेक्टेयर</td></tr>
<tr><td></td><td>आरक्षित वन</td><td>205632.000 हेक्टेयर</td></tr>
<tr><td></td><td>संरक्षित वन</td><td>6922.000 हेक्टेयर</td></tr>
</table>

	असीमांकित वन	–
	योग :–	212554.000 हेक्टेयर
III	मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र ।	18 प्रकरण रकबा 588.207 हेक्टेयर
IV	1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण	1223.442 हेक्टेयर
(क)	दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वनभूमि।	निरंक
(ख)	वनेत्तर भूमि पर ।	89.044 हे0
V	तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति :–	
	क. वनभूमि पर	1134.398 हे0
	ख. वेनेत्तर भूमि पर	89.044 हे0
7.	प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के संबंध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश।	धमतरी जिले के इस वनमंडल अंतर्गत मगरलोड ब्लॉक एवं नगरी ब्लॉक के विभिन्न गांवों में आवागमन/परिवहन की सुगम व्यवस्था तथा जनहित में मार्ग उन्नयन उपयोगी होने के कारण प्रस्ताव के स्वीकृति की अनुशंसा की जाती है।

दिनांक : 11/05/2023
स्थान : धमतरी

विश्वेश कुमार (भा.व.से.)
वनमंडलाधिकारी
धमतरी वनमण्डल धमतरी

निरीक्षण टीप दिनांक 11.05.2023

(भाग 2 के बिन्दु क्रमांक 5)

- प्रस्तावित परियोजना का नाम – मेघा–सिंगपुर–दुगली मार्ग उन्नयन एवं चौड़ीकरण कार्य।
- परियोजना में प्रभावित वनभूमि – 37.973 हेक्टेयर
- पंजीयन क्रमांक/दिनांक – क्रमांक–FP/CG/ROAD/151953/2022
- परियोजना में प्रभावित स्थल का विवरण –

वन का प्रकार	रकबा (हे.)
आरक्षित वन	37.973
संरक्षित वन	0.000
राजस्व वन क्षेत्र	0.000
योग :–	37.973

- प्रस्तावित क्षेत्र का वन घनत्व – 0.4 से 0.6
- प्रस्तावित क्षेत्र वन की साईट क्वालिटी– III / IVA
- प्रस्तावित वनभूमि के एवज में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण का विवरण –

  प्रकरण में प्रभावित वनभूमि 37.973 हे. के एवज में आवेदक संस्थान कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग धमतरी संभाग धमतरी द्वारा मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ शासन का गैर वनभूमि अनुपलब्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने के फलस्वरूप बिगडे वनों के सुधार के तहत महासमुंद वनमंडल अंतर्गत पिथौरा वन परिक्षेत्र के आरक्षित वन कक्ष क्रमांक 287 में 76.000 हे. वनभूमि का चयन किया गया है। उक्त चयनित वनभूमि में 10 वर्षीय सिंचित क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण योजना वित्तीय वर्ष 2022–23 की दर राशि रूपये 8,78,787/– से तैयार कर प्रस्ताव में संलग्न किया गया है।

- भाग 2 के कॉलम नं. 1 (XI, XII), 2 और 3 में पूछे गए तथ्यों को दर्शाते हुए टीप–

धमतरी वनमंडल के उत्तर सिंगपुर, दक्षिण सिंगपुर, केरेगांव एवं दुगली वन परिक्षेत्र अन्तर्गत वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत गैर वानिकी कार्य (मेघा–सिंगपुर–दुगली मार्ग उन्नयन एवं चौड़ीकरण कार्य) हेतु प्रस्तावित वनभूमि के आस –पास दुर्लभ, संकटापन्न प्रजाति के वनस्पति एवं प्राणिजात पाये जाते, जिसका विवरण पेज नं. 114 में है। प्रस्तावित स्थल में किसी प्रकार का पुरातत्वीय, पारंपरिक स्थल, रक्षा प्रतिष्ठान और अन्य महत्वपूर्ण स्मारक नहीं है। प्रस्तावित वनभूमि की आवश्यकता मेघा–सिंगपुर–दुगली मार्ग उन्नयन एवं चौड़ीकरण कार्य के लिये अपरिहार्य और न्यूनतम है। प्रकरण में वनक्षेत्र अंतर्गत किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है।

विश्वेश कुमार (भा.व.से.)
वनमंडलाधिकारी
धमतरी वनमण्डल धमतरी